न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : **05/2019** (अपील नामा)
GCMS No. 2019/00012

अनवान

1. श्री लाता पिता कुपा पारगी, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
2. श्री फता पिता कुपा पारगी, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
3. श्री हुरीया पिता कुपा पारगी, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री साजा पिता कुपा, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
2. श्री धुला पिता कुपा, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
3. श्री जोगा पिता कुपा, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
4. श्री हगरा पिता कुपा, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
5. श्रीमती गलवी पुत्री कुपा, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
6. श्रीमती मोदण पुत्री कुपा, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
7. श्रीमती शान्ती पुत्री कुपा, जाति–गमेती, निवासी–मण्डवाल, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।
8. श्री कालिया पिता देवा, जाति–गमेती, निवासी–बोल, तहसील–खेड़ब्रह्म।
9. श्री देवा पिता कानाजी, जाति–गमेती, निवासी–बोल, तहसील–खेड़ब्रह्म।
10. तहसीलदार कोटड़ा, तहसील–कोटड़ा, जिला–उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 169 तहसीलदार कोटड़ा आदेश दिनांक 20.12.2004

* निर्णय *

दिनांक– 22-10-2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डवाल, पटवार हल्का मामेर, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी संख्या 128 मे अंकित आराजीयात अपीलान्ट्स के आधिपत्य मे होकर कब्जे काश्त चली आ रही है तथा वर्तमान मे अपीलान्ट्स अपने पूर्वाधिकारियो के समय से वादग्रस्त आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट्स के पिता का नाम कुपा पिता हंसा गमेती है तथा इसी नाम का एक अन्य व्यक्ति गांव मण्डवाल मे रहता था, जिसके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 पुत्रीया तथा एक मृतक पुत्री मणी थी। इनके पिता का नाम भी कुपा पिता हंसा था, जिनकी मृत्यु सन् 2004 मे हुई थी। उन्ही दिनो राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन आपके द्वार अभियान के दौरान अपीलान्ट के पिता कुपा पिता हंसा के नाम की जमीन का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट्स के पिता की मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेन्ट्स के नाम पारित कर दिया। अपीलान्ट्स के पिता की मृत्यु दिनांक 20.01.2012 को हुई। इसके पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 18.03.2019 को अपीलान्ट्स के नाम नामान्तरकरण खोले जाने हेतु अनुरोध करने पर उक्त नामान्तरकरण पूर्व मे ही रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष मे खुल जाने की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता का नाम एक ही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटियुक्त उक्त नामान्तरकरण पारित हुआ है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 8 व 9 मृतक मणी के क्रमशः पुत्र व पति है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 20.12.2004 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स के नाम नामान्तरकरण खोला जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 7 द्वारा नोटिस/सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 8 व 9 की ओर से पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उनके द्वारा प्रकरण से कोई मतलब न होना एवं यही जवाब होना अंकित किया। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा रेस्पोडेन्ट्स के पिता की मृत्यु दिनांक 20.12.2004 को होना, अपीलान्ट्स के पिता की मृत्यु 20.01.2012 को होना, अपीलान्ट्स के पिता के जीवित होते हुए भी समान नाम होने से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण खोला जाना अवगत कराया एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने की मांग की। राजकीय अधिवक्ता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 20.12.2004 तहसीलदार कोटड़ा द्वारा कुपा पिता हंसा के फोत हो जाने से रेस्पोडेन्ट्स के नाम पारित किया जाना अवगत कराया।

हमने अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 20.12.2004 की प्रति, अपीलान्ट्स के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की प्रति का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2024–27 के राजस्व ग्राम मण्डवाल की नकल जमाबन्दी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त संवत् के खाता संख्या 6 एवं 7 में कुपा पिता हंसा गमेती का पृथक पृथक नाम अंकित था, जिसमे खाता संख्या 6 में अंकित कुपा पिता हंसा गमेती के नाम कुल किता 15 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं खाता संख्या 7 मे अंकित कुपा पिता हंसा गमेती के नाम कुल किता 1 रकबा 3 बीघा भूमि अंकित थी। दिनांक 20.12.2004 को कुपा पिता हंसा गमेती की मृत्यु दिनांक 20.12.2004 को होने के आधार पर प्रशासन आपके द्वार अभियान के दौरान उक्त नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 20.12.2004 रेस्पोडेन्ट्स के नाम पर खोला गया है, जिसमे कुल किता 16 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि अर्थात सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम पर दर्ज हुई है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत उनके पिता कुपा पिता हंसा गमेती के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के अनुसार उनके पिता कुपा पिता हंसा गमेती का स्वर्गवास दिनांक 20.01.2012 को हुआ है। इस प्रकार मृत्यु से पूर्व नामान्तरकरण खोला जाना प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 20.12.2004 पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः जांच उपरान्त नवीन सिरे से खोले जाने हेतु तहसीलदार कोटड़ा को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा मण्डवाल, तहसील कोटड़ा का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 169 दिनांक 20.12.2004 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटड़ा को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षेणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक कुपा पिता हंसा के विधिक वारिसान की जांच कर नवीन सिरे नामान्तरकरण के संबध मे नियमानुसार विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested